1

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक एफ 1(1)(3) आ0प्र0एवं सहा/सामान्य/2014/ 11159-68

जयपुर, दिनांक 30.10.14

जिला कलेक्टर,
बाडमेर एवं जैसलमेर,
राजस्थान।

विषयः– अभाव सम्वत् 2071 (खरीफ फसल 2014) में प्रभावित क्षेत्रों में अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा अभाव संबंधी जारी अधिसूचना क्रमांक 10908–44 दिनांक 19.10.2014 के अनुरूप में राज्य के अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अभाव अवधि में आवश्यकतानुसार SDRF/NDRF मानदण्डों के बिन्दु संख्या 1(e) के अनुसार पात्र वृद्ध, अशक्त व निराश्रित बच्चों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है:–

1. जिला कलेक्टर यह प्रमाणित करेंगे:– (1) अनुग्रह सहायता हेतु चयनित पात्र व्यक्तियों के परिवारों के पास खाद्यान नहीं है या आपदा के कारण खाद्यान नष्ट/खराब हो गया है एवं (2) चयनित व्यक्ति रिलीफ कैम्पों में निवास नहीं कर रहे है।
   ऐसे समस्त वयस्क तथा अवयस्क व्यक्ति इस योजना अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के पात्र होगें।
2. अनुग्रह सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति वयस्क 40/– रूपये तथा प्रति बच्चे को 30/– रूपये की दर से अनुग्रह सहायता देय होगी।
3. अधिसूचना क्रमांक 10908–44 दिनांक 19.10.2014 के क्रम में अनुग्रह सहायता प्रारम्भ में 30 दिवस के लिए देय होगी। राज्य कार्यकारी समिति के आकंलन पर असहाय सहायता उपलब्ध करवाने की समयावधि पहली बार में 60 दिवस तक तथा उसके बाद में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। समयावधि बढाने हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा।
4. ग्राम स्तर पर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए। उक्त सूची को ग्रामसभा में प्रस्तुत कर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों का चयन ग्रामसभा में कराया जाये। सूची में अपात्र व्यक्तियों का चयन नहीं हो इसको सूनिश्चित किया जाये। यदि पात्र व्यक्ति चयनित होने से वंचित रह गया है, तो ग्रामसभा द्वारा उसे जोड़ा जा सकता है। ग्रामसभा के अनुमोदन पश्चात यह सूची रजिस्टर में संधारित की जाए व रजिस्टर में सरपंच, पटवारी, ग्रामसेवक एवं जहां तक सम्भव हो वार्ड पंच एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जाऐं। चयनित लाभार्थियों की सूची को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कराया जाए। ग्रामसभा में असहाय सहायता के रूप में दी जाने वाली नकद राशि की जानकारी सभी को दी जाए।

5. अनुग्रह सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जावे एवं उनका निस्तारण जिला कलेक्टर के स्तर पर किया जाए।
6. चयनित व्यक्तियों को असहाय सहायता हर पखवाड़े में नकद रूप में एक साथ ग्राम में एकत्रित कर ग्राम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष वितरित की जाए।
7. इस राहत गतिविधि पर किये जाने वाला व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय होगा। इस मद में होने वाले व्यय का मानचित्र माह की 10 तारीख तक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाया जाए।
8. अनुग्रह सहायता राशि का आवंटन पटवारी एवं ग्राम सेवक में से किसी भी एक कर्मचारी द्वारा किया जा सकेगा।
9. किसी भी योजना में पेंशन पानेवाला तथा किसी भी अन्य योजना में सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अनुग्रह सहायता मद से सहायता पाने का अधिकारी नहीं होगा।
10. जिला कलेक्टर उक्तानुसार अनुग्रह सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों की संख्या की सूचना शीघ्र राज्य सरकार को प्रेषित कर आवश्यक बजट की मांग करेंगे। इस सूचना के आधार पर राज्य सरकार जिलों में अनुग्रह सहायता के पात्र व्यक्तियों को सहायता वितरण करने हेतु बजट आवंटन करेगी जिसके अनुसार जिला कलेक्टर अनुग्रह सहायता का वितरण सुनिश्चित करेंगे।
11. अनुग्रह सहायता नगरपालिका/परिषद/निगम क्षेत्रों के व्यक्तियों को स्वीकृत नही की जावे।
12. जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों मे अनुग्रह सहायता प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त प्रत्येक 10 दिवसो में विभाग के निर्धारित प्रारूप में सूचना से अवगत कराया जावे।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अनुग्रह सहायता का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जयपुर, राज०।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता जयपुर, राज०।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, जयपुर, राज०।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) जयपुर, राज०।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर, राज०।
6. सम्भागीय आयुक्त,जोधपुर एवं जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं जैसलमेर, राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर, राज०।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर, राज०।

शासन संयुक्त सचिव